UPGK160052732021

<u>**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे) गोरखपुर**</u>

प्रकीर्ण वाद संख्या- 20/2021

वादिनी नाजरीन बेगम----------------बनाम-----------------------अज्ञात

मुकदमा अपराध संख्या- 82/2021

धारा- 379 भा०दं०सं०

थाना- जी०आर०पी० गोरखपुर

<u>**दिनांक- 11.03.2026**</u>

पत्रावली पेश हुई। वादिनी मुकदमा निवेदिता नाजरीन बेगम समक्ष न्यायालय उपस्थित है। वादिनी मुकदमा निवेदिता नाजरीन बेगम का द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि वह उपरोक्त मुकदमे में वादिनी मुकदमा है तथा जाँच से संतुष्ट है, आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है तथा वह स्वेच्छा से मुकदमा का निस्तारण करवाना चाहती है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा ने लेडिज पर्स व उसमें रखा सामान के चोरी होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जी०आर०पी० गोरखपुर में दिनांक 24.11.2020 को लिखवाई थी। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या बी-26/2021 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मुल्जिम का पता नहीं चल पाया है तथा निकट भविष्य में भी पता होने की संभावना नहीं है। वादिनी द्वारा भी अपने बयान में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने की बात कही गई है। चूंकि अंतिम रिपोर्ट पर वादिनी को कोई आपत्ति नहीं है ऐसे में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत विवेचक द्वारा मु०अ०सं० 82/2020 अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता थाना जी०आर०पी० गोरखपुर में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट बी-26/2021 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अ०सं० 82/2020 अंतर्गत धारा 379 भा०दं०सं० थाना जी०आर०पी० गोरखपुर के अभियोग से प्रेषित अंतिम आख्या सं० बी-26/2021 दिनांकित 17.07.2021 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)
गोरखपुर